

दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा.387/फलाई लीफ/07/2024.

फलाई लीफ नं.. 07/2024

सर्व संबंधित ध्यान दें

आपातकालीन पावर ब्लॉक लगाने के लिए अनुदेश.

संदर्भ :- एसीटीएम - वॉल्यूम-II (भाग-I) पैरा 20603 से 20608 के अनुसार.

1. पावर ब्लॉक तीन अलग-अलग प्रकार के होते हैं :

- आपातकालीन पावर ब्लॉक,
- पूर्व-व्यवस्थित पावर ब्लॉक,
- स्थानीय स्तर पर व्यवस्थित पावर ब्लॉक.

“सेकेंडरी लाइनें” अर्थात साइडिंग, यार्ड, शेड आदि के ओएचई पर पावर ब्लॉक, जो स्थानीय स्तर पर स्टेशन मास्टर, यार्ड मास्टर, शेड फोरमैन या इंजन परीक्षक द्वारा व्यवस्थित किए जाते हैं, कोटि(सी) के अंतर्गत आते हैं.

- पावर ब्लॉक के सभी मामलों में, टी.पी.सी. को इंटरप्टर्स के अनुरूप नियंत्रण स्विचों पर लाल चेतावनी कैप लगानी चाहिए, जिन्हें सेक्शन को अलग करने के लिए खुला रखा जाता है. इसी प्रकार, सेक्शन को अलग करने के लिए स्थानीय रूप से खोले गए मैनुअल रूप से ऑपरेट किए जाने वाले सभी स्विचों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे. यह कार्य स्विच खोलने वाले ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा. इन लाल चेतावनी कैप और चेतावनी बोर्ड को केवल पावर ब्लॉक को रद्द करते समय ही हटाया जा सकता है. यदि एससीएडीए प्रणाली ऑपरेशन में है, तो प्रणाली के संचालन के लिए जारी अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए.

आपातकालीन पावर ब्लॉक : टीपीसी द्वारा एक "आपातकालीन पावर ब्लॉक" की व्यवस्था की जाएगी तथा ओएचई के किसी भी प्रकार के ब्रेक-डाउन या किसी व्यक्ति के चोटिल हो जाने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की सूचना मिलने पर, **प्रभावित ओएचई की 25 केवी आपूर्ति तुरंत बंद कर दी जाएगी, विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में:**

- ओएचई का पूरा या आंशिक भाग या फीडर या केबल का गिरना और या तो व्यक्ति या पशु या गिरते हुए पेड़ या वाहन के लाइव उपस्कर के संपर्क में आने या संपर्क में आने की संभावना होने पर;
- क्षतिग्रस्त केटेनरी या संपर्क तार के कारण वाहन गेज खराब होने पर;
- क्षतिग्रस्त विद्युत इंजन को सुधारने के लिए चालक को कार्य करने की अनुमति की आवश्यकता होने पर;
- विद्युतीकृत लाइनों पर गाड़ी के पटरी से उतरने या कोई अन्य यातायात दुर्घटना, जहां सुरक्षा हित में टीपीसी या सेक्शन नियंत्रक द्वारा 25 केवी विद्युत आपूर्ति को बंद करना आवश्यक समझे जाने पर.

ओएचई में असामान्यताओं की रिपोर्टिंग :

प्रत्येक रेल पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह टीपीसी को या तो सीधे या किसी स्टेशन मास्टर, सेक्शन कंट्रोलर या निकटतम उपलब्ध टेलीफोन के माध्यम से, पैरा 20604 में उल्लिखित ओएचई या पटरियों, मास्ट/संरचनाओं या इंजनों के पेंटोग्राफ पर किसी भी असामान्यता, जिससे गाड़ियों की आवाजाही की संरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, की रिपोर्टिंग तुरंत करें. यदि क्षति भारी है या मूविंग आयामों का उल्लंघन हो रहा है तो उसे सामान्य और सहायक नियमों के अनुसार लाइनों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए.

आपातकालीन पॉवर ब्लॉक के लिए अनुरोध :

- 1 ओएचई ब्रेक-डाउन की पहली सूचना देने वाले व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सभी आवश्यक जानकारी देनी होगी जैसे उसका नाम, पदनाम, वह किलोमीटर जहाँ असामान्यता देखी गई है, उसकी प्रकृति तथा वह स्थान जहाँ से वह रिपोर्ट कर रहा है. उसे टीपीसी से अनुमति लेकर ही अपना स्थान छोड़ना चाहिए.
- 2 आपातकालीन पावर ब्लॉक मांगने का कारण संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए, परंतु स्पष्ट भी होना चाहिए. यदि दी गई पहली जानकारी स्पष्ट हो, तो टीपीसी को कार्रवाई करने के तरीके पर निर्णय लेने में आसानी होगी, जिससे समय की बहुत बचत होगी और परेशानी से बचा जा सकता है.

टीपीसी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई :

सूचना प्राप्त होने पर टीपीसी को प्रभावित सेक्शन की बिजली आपूर्ति तुरंत बंद करने की व्यवस्था करनी चाहिए (आपूर्ति स्विच ऑफ करने के बाद खराबी का विवरण प्राप्त किया जाएगा). साथ ही वह इयूटी पर उपलब्ध सेक्शन कंट्रोलर को सूचित करेगा कि उसके द्वारा सेक्शन को डेड कर दिया गया है. बदले में सेक्शन कंट्रोलर को संबंधित स्टेशन मास्टर के साथ मिलकर "स्टेशन संचालन नियमों" के अनुसार सुरक्षात्मक उपाय करने की व्यवस्था करनी चाहिए.

आपातकालीन ब्लॉक लगाने के बाद सावधानियां :

आपातकालीन पॉवर ब्लॉक लगाए जाने के बाद, प्रभावित लाइनों पर तब तक कोई कार्य शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि प्राधिकृत ओएचई पदाधिकारी साइट पर न आ जाए और नियमों के अनुसार दो या अधिक बिंदुओं पर ओएचई की अर्थिंग न कर दे. टीपीसी द्वारा संबंधित सेक्शन में बिजली आपूर्ति तब तक बहाल नहीं की जाएगी जब तक कि साइट पर उपलब्ध प्राधिकृत पदाधिकारी प्राइवेट नंबर द्वारा समर्थित संदेश जारी नहीं कर देता.

प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन

दक्षिण मध्य रेलवे